

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2023-24/329

लखनऊ/दिनांक-14-06-2023

विषय:—प्रदेश में लागू सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी०ओ०टी०पी०ए०)—2003 का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी०ओ०टी०पी०ए०)—2003" की विभिन्न धाराओं/प्राविधानों का अनुपालन कराया जा रहा है।

उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ, द यूनियन, नई दिल्ली एवं गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा कतिपय 09 जनपदों—बस्ती, रायबरेली, बुलन्दशहर, कौशाम्बी, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, अयोध्या एवं फतेहपुर में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी०ओ०टी०पी०ए०)—2003 के विभिन्न धाराओं/प्राविधानों के अनुपालन सम्बन्धी सर्वे कार्य कराते हुए सर्वे रिपोर्ट/फैक्ट शीट महानिदेशालय को उपलब्ध करायी गयी है।

पुनः अवगत कराना है कि उक्त सर्वे रिपोर्ट/फैक्ट शीट में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी०ओ०टी०पी०ए०)—2003 की विभिन्न धाराओं यथा—धारा—4, धारा—5, धारा—6 अ एवं ब तथा धारा—7 अनुपालन प्रतिशत दर्शाया गया है तथा सी०ओ०टी०पी०ए०—2003 के शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु सुझाव भी प्रदान किये गये हैं।

अतः आपको उक्त सर्वे रिपोर्ट/फैक्ट शीट पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप सर्वे रिपोर्ट/फैक्ट शीट में वर्णित सुझाव/कर्मियों का संज्ञान लेते हुए जनपद स्तर पर सी०ओ०टी०पी०ए०—2003 का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(सी०पी० कश्यप)

निदेशक (स्वास्थ्य)

तददिनांक

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2023-24/329
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1—प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
- 2—मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 3—समस्त जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ०प्र०।
- 4—स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०।
- 5—महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
- 6—उप महाप्रबन्धक, एन०सी०डी०, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
- 7—मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद—बस्ती, रायबरेली, बुलन्दशहर, कौशाम्बी, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, अयोध्या एवं फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप सर्वे रिपोर्ट में उल्लिखित जानकारी तथा वर्णित सुझाव/कर्मियों का संज्ञान लेते हुए सी०ओ०टी०पी०ए०—2003 का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
- 8—अधिशाषी निदेशक, उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।

(सुनील पाण्डेय)

राज्य नोडल अधिकारी,

(राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2023-24/

लखनऊ/दिनांक-14-06-2023

विषय:—प्रदेश में लागू सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी०ओ०टी०पी०ए०)—2003 का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी०ओ०टी०पी०ए०)—2003" की विभिन्न धाराओं/प्राविधानों का अनुपालन कराया जा रहा है।

उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ, द यूनियन, नई दिल्ली एवं गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा कतिपय 09 जनपदों—बस्ती, रायबरेली, बुलन्दशहर, कौशाम्बी, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, अयोध्या एवं फतेहपुर में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी०ओ०टी०पी०ए०)—2003 के विभिन्न धाराओं/प्राविधानों के अनुपालन सम्बन्धी सर्वे कार्य कराते हुए सर्वे रिपोर्ट/फैक्ट शीट महानिदेशालय को उपलब्ध करायी गयी है।

पुनः अवगत कराना है कि उक्त सर्वे रिपोर्ट/फैक्ट शीट में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी०ओ०टी०पी०ए०)—2003 की विभिन्न धाराओं यथा—धारा-4, धारा-5, धारा-6 अ एवं ब तथा धारा-7 अनुपालन प्रतिशत दर्शाया गया है तथा सी०ओ०टी०पी०ए०—2003 के शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु सुझाव भी प्रदान किये गये हैं।

अतः आपको उक्त सर्वे रिपोर्ट/फैक्ट शीट पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप सर्वे रिपोर्ट/फैक्ट शीट में वर्णित सुझाव/कर्मियों का संज्ञान लेते हुए जनपद स्तर पर सी०ओ०टी०पी०ए०—2003 का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सी०पी० कश्यप)
निदेशक (स्वास्थ्य)
तद्दिनांक

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2023-24/330-37

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1—प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
- 2—मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 3—समस्त जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ०प्र०।
- 4—स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०।
- 5—महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
- 6—उप महाप्रबन्धक, एन०सी०डी०, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
- 7—मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद—बस्ती, रायबरेली, बुलन्दशहर, कौशाम्बी, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, अयोध्या एवं फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप सर्वे रिपोर्ट में उल्लिखित जानकारी तथा वर्णित सुझाव/कर्मियों का संज्ञान लेते हुए सी०ओ०टी०पी०ए०—2003 का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
- 8—अधिकाणी निदेशक, उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।

(सुनील पाण्डेय)

राज्य नोडल अधिकारी,
(राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम)